


50  
157  
R/4004/III/2014

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोर्गो गवालियर



श्री कमलेश्वर सिंह तन्य श्री शशुधन सिंह निवासी ग्राम उमरी माधौ तहसील  
मऊंज जिला रीवा मोर्गो

— अदेक

बनाम

- 1- श्री यन्द्रमौल सिंह पिता श्री शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम उमरी माधौ,
- 2- श्री कृष्णदेव पिता श्री बृहस्पति सिंह निवासी ग्राम उमरी माधौ,
- 3- कृष्णपालसिंह पिता श्री बृहस्पति सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ,
- 4- श्री यन्द्रमूण सिंह पिता श्री बृहस्पति सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ,
- 5- अनिलद सिंह पिता श्री बृहस्पति सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ,
- 6- रामायण प्रताप सिंह पिता श्री बृहस्पति सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ,

मोर्गो संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत  
श्री शशुधन श्री शशुधन श्री शशुधन श्री शशुधन

30/65  
आज सूर्यनारायण सिंह पिता श्री विश्वामित्र सिंह निवासी ग्राम उमरी माधौ

का प्रपत्त  
४- श्रीनिवास सिंह तन्य श्री रामेश्वर सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ

५- श्रीनिवास सिंह तन्य श्री रामेश्वर सिंह, निवासी ग्राम उमरी माधौ

१०- श्रीमती रामकली पति श्री लालमणि अवधिया निवासी ग्राम उमरी माधौ

११- श्री ओमप्रकाश तन्य श्री लालमणि अवधिया निवासी ग्राम उमरी माधौ

१२- श्री जयप्रकाश तन्य श्री लालमणि अवधिया निवासी ग्राम उमरी माधौ

१३- श्री लालजी तन्य रामाधार सोनी, निवासी ग्राम उमरी माधौ

१४- लालमणि तन्य श्री रामाधार सोनी निवासी ग्राम उमरी माधौ, तहसील

मऊंज जिला रीवा मोर्गो

— अनादेकगण

माननीय तहसीलदार तहसील मऊंज जिला रीवा के  
के प्रकरण क्रमांक 51327/11-12 आदेश दिनांक 15.09.

2014 के विरुद्ध निरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.

दू० रा० संहिता 1959 दू०

क्रमांक: 2

14-11-14

M

५०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निगो 4004-III / 2014

जिला-रीवा

कमलेश्वर सिंह/चन्द्रमौल सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शशि पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 51/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शमी), सदस्य</p> 